

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न अदालत

मुकाम

कालु सिंह

बनाम

रतन सिंह

किस्म मुकदमा

नं. 51

सन 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	<p>23/1/2026 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दोरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते <u>रतन</u> दिनांक <u>6/2/2026</u> को पेश हो।</p> <p>आज्ञा से रीडर</p> <p>6/2/2026 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दोरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते <u>रतन</u> दिनांक <u>13/3/26</u> को पेश हो।</p> <p>आज्ञा से रीडर</p> <p>13/3/2026 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दोरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते <u>रतन</u> दिनांक <u>21/3/26</u> को पेश हो।</p> <p>आज्ञा से रीडर</p>	
<p>27/3/2026</p> <p>कल्ले सम्बन्धित बेई साइली भाहिए</p>	<p>वकील अर्थात् हाजिर। कल्ले सम्बन्धित दाद लही, चाही जो स्वीकार की जाती है बहस अर्थना पत्र सुनी गई। अर्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अर्थना पत्र वर्णित आराजियात से किसी को बिना वेदवली एवं बिना किसी के कल्ले शत्रुत में सम्मिलवायी सिमे। पत्थरगदी की जावे। लहरीर जारी हो। पत्रावली कंसल श्रुगार होकर नम्बर ले कम हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p>आज्ञा से रीडर (उपरोक्त अधिकारी) दिनांक 27/3/2026</p>	